न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/26/2026 दायर दिनांकः—06.04.2026 रजि0 न0 2026/54

<u>अपीलार्थीः—</u>	<u>प्रत्यर्थीः—</u>
श्री खेमचंद सोमवंशी नि. 2/61, स्कीम नं.10 बी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर—301001	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 11.05.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 25.02.2026 के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलने से असंतुष्ट होकर सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.04.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/516 दिनांक 01.05.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांक 25.02.2026 के माध्यम से 'जिला परिषद, अलवर की कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 के तहत चयनित अभ्यर्थियों की जाँच के संबंध में विविध 03 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 25.02.2026 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293015508298491 दिनांकः 27.02.2026 के माध्यम से संबंधित अनुभाग को सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। अब प्रासंगिक नोटिस के अनुक्रम में लिखे जाने पर अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं. सतर्कता/सूकाअ/2026/410 दिनांक 29.04.2026 के माध्यम से प्राप्त कुल 20 पृष्ठीय सूचना (बिन्दुवार) अपको ऑनलाइन पत्र सं. 4700490400 दिनांक 01.05.2026 के माध्यम से साथ ही हार्डकॉपी में भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं. सतर्कता/सूकाअ/2026/410 दिनांक 29.04.2026 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/517 दिनांक 01.05.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 11.05.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर